न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व अपील :: 14/2017 ::

अपीलांटगण :-	बनाम	रेस्पोडेन्ट :-
पाबूसिंह पुत्र देवीसिंह राजपूत निवासी रोजड़ा तहसील सुमेरपुर जिला पाली		राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हरजीराम उपस्थित
रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार श्री खीमाराम उपस्थित

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 22.01.2018

अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत तहसीलदार सुमेरपुर के प्रकरण संख्या 04/2017 अर्न्तगत धारा 183 व 183 (बी व सी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बअनवान सरकार बनाम पाबूसिंह निर्णय दिनांक 23.03.2017 के विरुद्ध पेश की हैं। अपील म्याद बाहर होने से धारा 05 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन एवं अपीलाधीन रेकार्ड तलब किया गया। दोनो पक्षो की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 183 व 183 (ख व ग) के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा रोजड़ा पटवार हल्का नेतरा के खसरा नंबर 452 रकबा 1.90 है. भूमि जो राजस्व अभिलेख में मंदिर श्री महादेव जी वाके देह खातेदार दर्ज है उस पर अपीलाण्ट एवं उसके पूर्वजों का रियासत काल से कब्जा काश्त है। ग्रामवासी रोजड़ा के प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का नेतरा से रिपोर्ट ली जाकर जैर अपील प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183, 183 (ख व ग) के अन्तर्गत दर्ज कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.03.2017 को पारित किया गया। जिसके द्वारा अपीलाण्ट को उपरोक्त भूमि से बेदखल किए जाने के आदेश दिए गए एवं मूर्ति शाश्वत नाबालिग की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किए जाने से अपीलाण्ट का दो वर्ष के सिविल कारावास एवं 20000/— रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं पटवारी हल्का को उक्त भूमि का कब्जा राज लिए जाने का आदेश पारित किया तथा गठित स्थाई समिति को मन्दिर प्रबंधन एवं वांछनीय उचित व्यवस्था हेतु आदेश दिए गए। जो विधि सम्मत नहीं है साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के तहत प्रकरण नियमित वाद के रूप में अधिनियम में निहित तृतीय अनुसूची के भाग एक के तहत उक्त प्रकरण सहायक कलेक्टर के अदालत में प्रस्तुत करना चाहिए था। अपीलाण्ट को नुकसान पहुंचाने की गरज से उक्त संपूर्ण कार्यवाही विधि में निहित प्रावधानो के विपरीत दर्ज कर जैर अपील आदेश पारित किया है। Principal of Natural Justice के तहत भी उक्त प्रकरण में रिजनेबल टाईम अपीलाण्ट को सुनवाई हेतु दिया जाना चाहिए था जो मातहत अदालत द्वारा नही दिया गया है। विवादित आराजी अभिलेख में मन्दिर श्री महादेवजी के नाम से दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण भूमि का उपयोग उपभोग मंदिर श्री महादेव के हितार्थ ही अपीलाण्ट द्वारा उपयोग में लाई जाती रही है। मंदिर श्री महादेव की सेवा चाकरी, पूजा अर्चना अपीलाण्ट द्वारा निरन्तर की जाती रही है तथा विवादित भूमि की आय में से 1/4 हिस्से का मंदिर के हितार्थ कार्य किए जाते है। अपीलाण्टस ने किसी भी रूप में अवैध कब्जा उक्त भूमि पर नही कर रखा है। मातहत अदालत ने उपरोक्त भौतिक स्थिति अनुसार मौजूद होते हुए भी जैर अपील आदेश पारित कर दिया हैं। वर्ष 2016 में पटवारी हल्का ने मौका फर्द तैयार की थी जिसमें अपीलाण्ट का काश्त होना बताया है। वे ही मंदिर की पूजा और रखरखाव आदि करते आ रहे है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की प्रकृति वाद के रूप में होनी चाहिए जो मात्र प्रार्थना पत्र के रूप में दर्ज कर निर्णय कर दिया गया। उक्त प्रकरण में न्याय के सिद्धान्तों के विपरित जाकर रंजिशवंश निर्णय पारित किया गया है जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को पटवारी नेतरा के द्वारा दिनांक 17.05.2017 को हुई।

क्रम्श.....2

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

जिससे अपील जानकारी से अंदर म्याद पेश की जा रही है। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि मातहत अदालत को धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की शक्तिया प्राप्त नही है एवं उनके द्वारा अपने क्षैत्राधिकार से परे जाकर निर्णय पारित किया है एवं धारा 183 बी व सी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान भी इसमें लागु नही होते है। इन समस्त तथ्यों को नजरअदांज कर मातहत अदालत द्वारा पूर्णतया विधिविरूद्ध निर्णय पारित कर अपीलाण्ट दो वर्ष का सिविल कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया है जो अपीलाण्ट के अधिकारों का स्पष्टतया हनन है। लिहाजा अपील अंदर म्याद मानी जाकर स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमावें।

सरकारी पैरोकार ने कथन किया कि मौजा रोजड़ा पटवार हल्का नेतरा के खसरा नंबर 452 रकबा 1.90 है. भूमि जो राजस्व अभिलेख में मंदिर श्री महादेव जी वाके देह खातेदार दर्ज है उस पर अपीलाण्ट द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। जिससे मातहत अदालत द्वारा मात्र अतिक्रमण हटाने की मंशा से आदेश पारित किया हैं। मातहत अदालत द्वारा अपीलाण्ट को प्रर्याप्त समय दिया जाकर जवाब प्रस्तुत करने के उपरान्त निर्णय पारित किया गया है। मातहत अदालत द्वारा जैर अपील आदेश पारित कर मंदिर की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। जो न्यायोचित है।

विद्वान अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया गया। जैर अपील प्रकरण में अपीलाण्ट को दो वर्ष के सिविल कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया गया है तथा अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह निवेदन किया गया कि जैर अपील निर्णय का ज्ञान होने पर यह अपील जानकारी से अंदर म्याद प्रस्तुत की है। न्यायहित में अपील को अंदर म्याद माना जाकर पत्रावली के गुणावगुण पर अवलोकन किया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौजा राजेड़ा के मन्दिर श्री महादेव जी वाके देह खातेदारी भूमि खसरा नंबर 452 रकबा 1.90 हैक्टर भूमि पर ग्रामवासी रोजडा के प्रार्थना पर प्रकरण दर्ज कर अपीलाण्ट का अवैध अतिक्रमण मानते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183, 183 (ग) (ख) के अर्न्तगत जैर अपील आदेश पारित किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 में कतिपय अतिक्रमियों की बेदखली के प्रावधान है जिसके अर्न्तगत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अतिक्रमी को बेदखल करने की कार्यवाही की जा सकती है एवं मन्दिर प्रबंधन एवं अन्य वांछित व्यवस्था हेतु राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार(अनु.–3) विभाग जयपुर के आदेश दिनांक 07.12.2009 के तहत गठित स्थाई समिति को सौपा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं किया जाकर जैर अपील प्रकरण में तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा अपने न्यायक्षैत्र के बाहर जाकर मात्र समरी प्रोसेडिंग से ही जैर अपील आदेश के जरिए अपीलाण्ट को बेदखल कर दिया है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 (ग) (ख) के अन्तर्गत भी आदेश पारित किया है जबकि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा धारित भूमि पर गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण करने पर अतिक्रमियों को उक्त अधिनियम की धारा 183 (ख) के अर्न्तगत संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा बेदखली एवं नियमानुसार जुर्माना किए जाने एवं अतिक्रमी द्वारा कब्जा नही छोड़ने की दशा में धारा 183 (ग) के अर्न्तगत नियमानुसार जुर्माने एवं सजा का प्रावधान है लेकिन जैर अपील भूमि राजस्व रेकर्ड में मंदिर श्री महादेव जी वाके देह खातेदार दर्ज है जिसमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 (ग) (ख) में प्रदत्त प्रावधान किसी भी प्रकार से लागु नही होते है। पत्रावली संलग्न मौका फर्द से स्पष्ट है कि जैर अपील भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजर अंदाज किया है जबकि तहसीलदार सुमेरपुर को इस संबंध में जांच करनी चाहिए एवं तत्पश्चात बाद जांच उनको उक्त भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण किया जाना प्रतीत होता है तो सक्षम न्यायालय में नियमानुसार चाराजोही करनी चाहिए थी।

क्रमश.....3

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

लेकिन उनके द्वारा अपने अधिकार क्षैत्र एवं न्याय क्षैत्र से बाहर जाकर नियमो के विपरीत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है जो पुर्णतया विधिविरूद्ध होने से यथावत रखे जाने योग्य नहीं है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं तहसीलदार सुमेरपुर के प्रकरण संख्या राजस्व विविध 04/2017 अर्न्तगत धारा 183 व 183 (बी व सी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बअनवान सरकार बनाम पाबूसिंह पुत्र देवीसिंह निवासी रोजड़ा में पारित निर्णय दिनांक 23.03.2017 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)